राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांकःएफ.55()पीए/सीई/डीएलबी/डब्ल्यूएस(सामान्य)/2020/ 1165 दिनांकः 3/3/20

बैठक कार्यवाही विवरण

आगामी ग्रीष्मकाल में 08 नगरीय निकायों क्रमशः जैसलमेर, श्रीगंगानगर, करौली, बूंदी, नोखा, चौमूं, नाथद्वारा व नागौर की पेयजल योजनाओं के सुचारू संचालन एवं संधारण की तैयारियों के संबंध में समीक्षात्मक बैठक हेतु निदेशालय के पत्रांक 8811–8840 दिनांक 19.02.2020 हेतु जारी सूचना के अनुक्रम में दिनांक 25.02.2020 को प्रातः 11:30 बजे निदेशालय सभागार में मुख्य अभियंता, निदेशालय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपरोक्त 08 शहरों की जलप्रदाय योजनाओं के तकनीकी मापदण्ड, राजस्व संबंधित आकड़े एवं आगामी ग्रीष्मकाल में संतोषजनक पेयजल वितरण व्यवस्था तथा एनजीटी प्रकरणों की समीक्षा की गई। बैठक में संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा इस विषय में प्रस्तुतीकरण के पश्चात् मुख्य अभियंता महोदय द्वारा निम्न दिशा–निर्देश जारी किये गयेः–

अ. एनजीटी प्रकरण (स्वच्छ भारत मिशन):

1. नगरीय निकायों में आयुक्त/अधिशाषी अधिकारियों को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) में शौचालयों का निर्माण, आधार सिडिंग में Gap को तुरंत प्रभाव से अपडेट करने के आदेश प्रदान किये गये। आयुक्त, नगर परिषद्, बूंदी को Non-ODF होने के कारणों को दुरूस्त करते हुए पुनः ODF करवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। साथ ही निर्धारित प्रपत्र के उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। माननीय सदन 606/18 में 31.01.2020 के क्रम में ठोस कचरे का शत–प्रतिशत समाधान/निष्पादन किये जाने की कार्ययोजना सात दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये। मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) बनाये जाकर निकायों को दिये गये प्रपत्र में सूचना सात दिवस में भिजवाने तथा लिगेसी वेस्ट का आंकलन टोटल स्टेशन व ड्रोन फोटोग्राफी की मदद से किया जाकर लिगेसी वेस्ट निस्तारण सात दिवस में भिजवाये जाने के निर्देश प्रदान किये जाये।
2. माननीय एनजीटी धारा पारित आदेशों की अनुपालना में तय समयसीमा में निर्धारित कार्यवाही नहीं करने की स्थिति में, अगर किसी प्रकार की शास्ती आरोपित होती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी की होगी, जिसके लिये सभी को पाबंद किया गया।

ब. नगरीय निकायों द्वारा संचालित एवं संधारित आठ नगरीय पेयजल योजनाऐं:

1. आगामी ग्रीष्म ऋतु में आवश्यक मापदण्डों के अनुसार पेयजल उपलब्धता (Quality and Quantity) सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक जल स्त्रोत/जलाशयों/जल वितरण केन्द्रों की Well-Maintained स्थिति में संधारित किया जाना सुनिश्चित करें। जल गुणवत्ता के संबंध में निदेशालय द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना सुनिश्चित की जावें। आवश्यकतानुसार टैंकरों के माध्यम से जल परिवहन किये जाने की स्थिति में सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जाना सुनिश्चित करें एवं इस कार्य में आवश्यक पारदर्शिता एवं रिकॉर्ड संधारण किया जावें। टैंकर जल परिवहन में भी जल गुणवत्ता सुनिश्चित की जावें। संबंधित निकायों में पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु ओएचएसआर/सीडब्ल्यूआर की स्वच्छता (Cleaning) प्रत्येक छः माह में नियमित रूप से की जाकर स्वच्छता–दिनांक अंकित की जावें। नियमित रूप से वाटर सेम्पलिंग/मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करें।
2. अप्राप्त (बकाया) जल राजस्व की प्राप्ति की गति बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाकर/शिविर लगाकर वसूली का प्रयास करें। समस्त सरकारी विभागों की बकाया जल राजस्व हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर तत्काल वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करें। पूर्व में जारी निर्देशानुसार राजस्व वसूली की कार्ययोजना के तहत राशि रू. 5000 से अधिक बकाया जल राजस्व वाले उपभोक्ताओं से प्राथमिकता के आधार पर एवं शेष सभी उपभोक्ताओं से बकाया जल राजस्व वसूल किया जाना सुनिश्चित करें। वित्तीय वर्ष 2019–20 के जल राजस्व संकलन की साप्ताहिक

सूचना प्रत्येक मंगलवार को संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा निदेशालय को ईमेल cedlbjp@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

3. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि गैर–राजस्व जल (Non-Revenue Water) को निर्धारित मात्रा (20%) के अंदर लाने के प्रयास करें। गैर–राजस्व जल अधिक होने के कारणों की गहन जांच करते हुए लीकेज/अवैध संबंध, मीटरिंग के अभाव अथवा उपयुक्त जल राजस्व निर्धारण के कारण हो रहे एनआरडब्ल्यू में कमी लाने के प्रयास करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश गये।
4. अवैध कनेक्शन को कटवाने की अथवा नियमितीकरण नियमानुसार की कार्यवाही करें।
5. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा हस्तांतरित की जाने वाली पेयजल संबंधी सभी सम्पदाओं का ULBs द्वारा संपदा (Asset) Register में संधारित किया जा रहा है, जिनमें नवीन संपदाओं का इन्द्राज नियमित रूप से संपदा (Asset) Register में किया जाना सुनिश्चित करें।
6. पेयजल व्यवस्था हेतु आवश्यक समस्त सामग्री/व्यवस्था के लिये दर संविदाओं की वैधता होना सुनिश्चित करें। दर संविदाओं की वैधता समाप्ति से पूर्व ही नियमानुसार नई संविदा दरें सक्षम स्तर से अनुमोदित किया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी परिस्थिति में नगरीय पेयजल व्यवस्था नियमित एवं निर्बाध रूप से संचालित एवं संधारित किया जाना सुनिश्चित करें।
7. सूखे/नाकारा नलकूपों का विद्युत संबंध तुरंत विच्छेद करवाये तथा सुनिश्चित करें कि इनका विद्युत बिल तो जारी नहीं किया जा रहा। जलापूर्ति योजनाओं को आत्मनिर्भर (Self sustainable) बनाने के लिए निकाय स्तर पर की गयी कार्यवाही का ब्यौरा निदेशालय में प्रस्तुत करें।
8. नगरीय निकायों द्वारा पेयजल कनेक्शन जारी होने के दौरान होने वाले रोड़कट की वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी है। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए निर्देशित किया गया कि पेयजल कनेक्शन/लीकेज मरम्मत के दौरान किये गये गड्ढे/रोड़कट को तत्काल प्राथमिकता पर दुरूस्त किया जाना चाहिये। रोड़कट के संबंध में निकायों को निर्धारित प्रपत्र में सूचना आगामी एक सप्ताह के भीतर निदेशालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
9. सभी आयुक्त/अधिशाषी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जलप्रदाय योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दें एवं विद्युत बिलों का भुगतान प्राथमिकता से समय पर करें तथा निदेशालय के पत्र दिनांक 18.03.2019, 12.09.2019 एवं 11.10.2019 द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चत करें। सभी आयुक्त/अधिशाषी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिला कलक्टर की अध्यक्षता में होने वाली साप्ताहिक समीक्षा बैठक में बकाया विद्युत बिल भुगतान के लिए संबंधित जिला कलक्टर के संज्ञान में लावें एवं डिस्कॉम के अधिकारियों से आवश्यक समन्वय रखें, ताकि भुगतान में देरी के कारण विद्युत संबंध विच्छेद न किये जावें एवं पेयजल आपूर्ति नियमित एवं निर्बाध रूप से हो सके।
10. शहरी निकायों में सीवर लाईन बिछाई जा चुकी है, इन क्षेत्रों में पानी के बिलों में सीवर–शुल्क के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के परिपत्र सं. F/FA & CAO/RWSSMB/MISSION/ 2014-15/18886-902 दिनांक 31.03.2017 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार सीवर शुल्क जोड़ा जाना सुनिश्चित करें। सभी आयुक्त/अधिशाषी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जल एवं सीवरेज शुल्क हेतु 08 नगरीय निकाय अपने स्तर पर निर्धारित करने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र है।
11. श्रीगंगानगर एवं नाथद्वारा के आयुक्त बैठक में अनुपस्थित थे, जिस पर श्रीमान अध्यक्ष महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, श्रीगंगानगर/नाथद्वारा को अनुपस्थित रहने का कारण स्पष्ट करने हेतु निर्देशित कर एवं आग्रह किया गया कि भविष्य में निदेशालय स्तर पर आयोजित बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित करें।
12. सभी आयुक्त/अधिशाषी अधिकारियों ने शहरी जल योजनाओं के संचालन एवं संधारण हेतु आवश्यक अनुदान राशि तुरंत प्रभाव से जारी करने का निवेदन किया तथा आयुक्त, नगर परिषद्, बूंदी/करौली एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नोखा ने बताया कि उनके नगरीय निकाय की आर्थिक स्थिति काफी खराब है तथा नगरीय निकाय, बूंदी जल प्रदाय योजना संबंधित विद्युत बिलों के भुगतान करने में असमर्थ है एवं बताया कि डिस्कॉम द्वारा उन्हें मार्च, 2020 में विद्युत संबंध विच्छेद करने की चेतावनी दी है।

मुख्य अभियंता, निदेशालय ने इस संबंध में उन्हें अवगत कराया कि निदेशालय स्तर से अनुदान आवंटन हेतु राज्य सरकार स्तर से आवश्यक प्रयास किये जा रहे है, परंतु विद्युत विभागों के पेटे बकाया विद्युत राशि जमा कराने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से संबंधित नगरीय निकाय की ही होगी। सभी संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नगरीय पेयजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण सुचारू रूप से किया जाना सुनिश्चित करें एवं किसी भी पेयजल संबंधित समस्या का समाधान त्वरित गति से संपादित करेंगे, जिससे आमजन को पेयजल आपूर्ति नियमित रूप से सुलभ हो सके।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:एफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/डब्ल्यूएस(सामान्य)/2020/ 11652–11684 दिनांक 3/3/20

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास/आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
3. जिला कलक्टर, बूंदी/जैसलमेर/नागौर/श्रीगंगानगर/करौली/बीकानेर/राजसमंद/जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि बैठक में दिये गये निर्देशानुसार संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करें।
6. मुख्य अभियंता, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, 2 जेकब रोड, सिविल लाईन्स, जयपुर को भेजकर लेख है कि नगर परिषद्, नागौर द्वारा संचालित शहरी जल योजना नागौर में कनिष्ठ अभियंता का पदस्थापन करने का श्रम करें।
8. अतिरिक्त परियोजना निदेशक, आरयूआईडीपी, जवाहर सर्किल, जेएलएन मार्ग, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
10. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/भरतपुर/अजमेर।
11. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद्/पालिका, बूंदी, जैसलमेर, नागौर, श्रीगंगानगर, करौली, नाथद्वारा, नोखा एवं चौमूं को भेजकर लेख है कि बैठक में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर अनुपालना रिपोर्ट निदेशालय को प्रस्तुत करें।
12. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

3/3/2020
(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता